भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2444

03.08.2027 को उत्तर के लिए

सामुदायिक वनों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण

2444. श्री धर्मबीर सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के जल-संकट वाले क्षेत्रों में वनीकरण/वृक्षारोपण को भूजल पुनर्भरण और जलसम्भर (वॉटरशेड) पुनरुद्धार के साथ वैज्ञानिक रूप से जोड़ने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित सरकारी भूमि पर सामुदायिक पुनर्भरण वन विकसित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सुदूर संवेदन का उपयोग करके ऐसे वृक्षारोपण के पर्यावरणीय एवं जलवैज्ञानिकीय प्रभावों की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पहल के तहत भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक पुनर्भरण वनों की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जलसंभर प्रबंधन, नदी पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण के संघटक के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। जल संरक्षण पहलों के साथ तालमेल से वृक्षारोपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार और अवक्रमित भू-परिदृश्यों का जीर्णोद्धार किया जाता है ताकि जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल रिसाव को बढ़ाया जा सके, मृदा अपरदन को कम किया जा सके और जलवैज्ञानिक कार्यों में सुधार किया जा सके। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से हरित भारत मिशन (जीआईएम), वृक्षारोपण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से अवक्रमित वनों

और पारिस्थितिक तंत्रों के जीर्णोद्धार को बढ़ावा देता है, जो जलसंभर कार्यों और भूजल पुनर्भरण में सुधार में योगदान करते हैं। इन प्रयासों को जीआईएम, काम्पा, एमजीएनआरईजीएस और राज्य योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से अरावली ग्रीन वॉल पहल द्वारा इन प्रयासों मे सहयोग दिया जाता है।

(ख) जीआईएम के अंतर्गत, पुनर्स्थापन गतिविधियाँ संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी), ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं, जहाँ भी लागू हो, को शामिल करके सहभागी नियोजन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। ''सामुदायिक पुनर्भरण वनों'' के विकास हेतु कोई अलग नीति नहीं बनाई गई हैं। तथापि, यह अभियान सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों और अन्य योग्य भूमियों के जीर्णोदार का समर्थन करता है।

(ग) जीआईएम में पुनर्स्थापन गतिविधियों की योजना और मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग, जियो-टैगिंग और आवधिक निगरानी के उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसमे समय-समय पर किए जाने वाले स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा सहयोग किया जाता है।

(घ) हरियाणा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भिवानी जिले के जलभराव वाले क्षेत्रों में जैव-जल निकासी वृक्षारोपण किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा पारिस्थितिकीय प्राथमिकताओं, अनुमोदित भावी योजनाओं और उपलब्ध निधियों के आधार पर कार्यान्वयन क्षेत्रों की पहचान की जाती है। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले अरावली ग्रीन वाल परिदृश्य के अंतर्गत आते हैं, जहां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार चल रही योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके कार्यकलाप किए जा रहे हैं।
